

विधि एवं विधिक कार्य विभाग
अधिसूचना
जयपुर, जून 05, 2020

क्रमांक:-प.1(3)न्याय/2010

द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपोजिट स्कीम एक्ट, 2019 की धारा 8 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श उपरान्त उक्त अधिनियम के अधीन प्रकरणों के विचारण हेतु, जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर-प्रथम तथा जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर-द्वितीय के न्यायालयों को उनकी अपनी-अपनी क्षेत्रीय सीमाओं में अधिकारिता वाला न्यायालय एतद्वारा तुरन्त प्रभाव से विनिर्दिष्ट करती है।

राज्यपाल के आदेश से,

(विनोद कुमार भारवानी)

प्रमुख शासन सचिव